685
22/11/13

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 ,

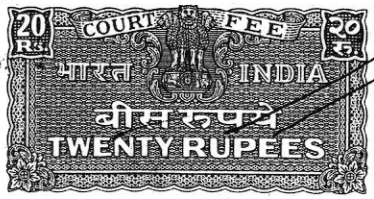

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

...वीरेन्द्र सिंह एड0... द्वारा आज दिनांक..22-11-13... को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

1- श्री राम तनय श्री रामपियारे साहू ।

2- रंजीत प्रसाद तनय श्री राम साहू ।

R-4223-III/13

दोनों निवासी ग्राम भूसामोड़ पनगेह, तह0 जिला सिंगरौली म0प्र0 ,

.... अपीलान्ट गण निगरानी कर्ता गण

मा. न्यायालय के आदेश अनुसार संशोधित आदेश दिनांक 12-8-2014
20-5-015.

बनाम

1- रामदुलारे तनय गोकुल साहू

2- मनीराम तनय श्री गोकुल साहू ।

3- गेंदालाल तनय श्री गोकुल साहू ।

4- राजनाथ तनय श्री गोकुल साहू ।

23-11-13

5- लाले तनय श्री कमला साहू ।

6- श्री मती लखरनियां पत श्री कमला साहू ।

7-7- अजोरिया पति कमला साहू ।

8- पप्पुल उर्फ गीता साहू तनय गैबीराम साहू ।

9" विजय कुमार तनय गैबी साहू ।

10- चन्दू तनय गैबी साहू ।

सभी निवासी ग्राम भूसामोड़ पंजरेह, तह0 जिला सिंगरौली म0प्र0

मा. न्यायालय के आदेशानुसार संशोधित
.... रेस्पा0 गण गैर निगरानीकर्ता गण
20-5-015

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्री मान् अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा म0प्र0 के प्रकरण क्र0 577 /अपील / 12 -13 आदेश दिनांक 13-11-13

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

आदेश अनुवृत्ति पत्र

प्रकरण कमांक निग.–4223/तीन/2013 जिला–सिंगरोली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश श्रीराम विरूद्ध रामदुलारे	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–02–2016	यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 577/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 13.11.13 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री बीरेन्द्र सिंह उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राहयता पर सुना गया। उनके द्वारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर निगरानी ग्राहय करने का निवेदन किया गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का परिशीलन किया गया। साथ ही आक्षेपित आदेश दिनांक 13.11.13 का भी अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश के बिन्दु 5 में यह आधार लिया गया है कि वादग्रस्त भूमियां सहखाते की हैं जिनमें उभयपक्ष स्वत्वधारी हैं। विवादित भूमियों के संबंध में बटवारे का भी प्रकरण पृथक से प्रचलित है ऐसी स्थिति में सहखाते की भूमियों का बटवारे में ही निराकरण किया जा सकता है। उभयपक्ष के द्वारा वादग्रस्त भूमियों के संबंध में व्यवहार वाद भी सिविल न्यायालय में प्रचलित होना उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। वहीं यह भी आधार लिया गया है कि विवादित भूमि पर मकान बने होने से लम्बे समय से आबादी है। उपरोक्त आधारों पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22.2.13 निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गयी है। प्रकरण में विद्यमान तथ्यों के संबंध में विचार किया गया। विचारोपरांत यह पाता हूं कि प्रकरण में प्रचलित विवाद के संबंध में अपर आयुक्त के आदेश में अंकित स्थिति के अनुसार सिविल वाद प्रचलित है इसके साथ बंटवारा प्रकरण भी पृथक से प्रचलित होने का भी लेख अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में किया गया है। चूंकि भूमि अपर आयुक्त के आदेश में अंकित	

प्रकरण कमांक निग.–4223/तीन/2013 जिला–सिंगरोली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश श्रीराम विरूद्ध रामदुलारे	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

स्थिति के अनुसार आबादी की होने से तथा उस पर मकान बने होने से वहां संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार धारा 250 की कार्यवाही आकर्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा जो निर्णय अपने आदेश दिनांक 13.11.13 से लिया गया है वह उचित एवं विधि संगत प्रतीत होता है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दिनांक 13.11.13 स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप निगरानी में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि.हो।

10.2.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य